



राज्यपाल

प्रसंग

- हाल ही में, केंद्र ने घोषणा की कि बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नवीन राज्यपाल प्राप्त होंगे। इसमें पहली बार हुई नियुक्तियां और एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपालों के स्थानांतरण दोनों शामिल हैं।

राज्यपाल के बारे में

- भारत में केंद्र की तरह, राज्य में भी कुछ शासन प्रणाली है।
- राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होती है।
- भारत में दो प्रकार के राज्यपाल हैं:
 - राज्यपाल जो राज्यों में मौजूद हैं।
 - लेफ्टिनेंट-गवर्नर/प्रशासक जो केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद हैं।

राज्यपाल की नियुक्ति :

- अनुच्छेद 155 कहता है कि "राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा"।
- अनुच्छेद 156 के तहत, "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा"।
- एक राज्यपाल की नियुक्ति करते समय जो परम्पराएँ विकसित हुई हैं।
- वह उस राज्य से नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है।
- राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता है।

कार्यकाल : उनका सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

- यदि 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को अपना पद त्याग करना पड़ सकता है।
- संविधान ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं किया है।

शपथ:

- राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना होता है।
- शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उस अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होते हैं।

योग्यताएं: अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता और उनके कार्यालय की शर्तों को निर्धारित करते हैं।

- राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
- राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

राज्यपाल की शक्तियाँ

- राज्य के राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ होंगी।
- लेकिन उसके पास कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 160: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहना।
- अनुच्छेद 161: क्षमा प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति
 - और दूसरे।
- अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।
- अनुच्छेद 163: विवेक के लिए कुछ शर्तों को छोड़कर, राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए सीएम के साथ एक सीओएम है।
- अनुच्छेद 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- अनुच्छेद 200: राज्यपाल सहमति देता है, सहमति वापस लेता है, या विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है।
- अनुच्छेद 213: राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।



महर्षि दयानंद सरस्वती

प्रसंग

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में

स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824, गुजरात में मूल शंकर तिवारी के रूप में हुआ था।
योगदान :

- दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन थे।
- इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थयात्रा, जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करता है।
- इन्होंने 1876 में स्वराज के लिए "भारतीयों के लिए भारत" का आह्वान किया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने अपनाया।
- उनके सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश (सत्य का प्रकाश) है।
- उनके अनुयायियों में श्री अरबिंदो और एस राधाकृष्णन शामिल थे।

दर्शन :

- वह वेदों के अटूट विश्वास करते थे।
- उन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की वकालत की।
- उन्होंने ब्रह्मचर्य के वैदिक आदर्शों पर जोर दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य और भगवान की भक्ति शामिल है।
- 7 अप्रैल, 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। इस सुधार आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया।
- उन्होंने हिंदू धर्म में पुजारियों की उत्कृष्ट स्थिति का विरोध किया।

असम में बाल विवाह पर कार्रवाई

प्रसंग

असम में बाल विवाह पर राज्यव्यापी कार्रवाई में 2,000 से अधिक पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर सख्त POCSO अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

किस कानून के तहत गिरफ्तारियां की जा रही हैं?

- असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
- 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

पॉक्सो अधिनियम:

- 2012 का POCSO अधिनियम, एक नाबालिग और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है। कानून नाबालिग की सहमति को वैध नहीं मानता है।
- POCSO के तहत यौन हमला एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
- इसलिए 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के बाल विवाह के मामले में यौन उत्पीड़न का अनुमान लगाया जा रहा है।
- यौन उत्पीड़न (जो कि भेदनात्मक नहीं है) के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का कारावास है, जिसे जुर्माने के साथ पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

शादी की मुस्लिम उम्र पर बहस क्या है?

- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, उस दुल्हन का विवाह माना जाता है जिसने यौवन प्राप्त कर लिया हो। साक्ष्य के अभाव में यौवन की कल्पना पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने पर मानी गई है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ और बाल विवाह या नाबालिगों की यौन गतिविधि पर रोक लगाने वाले विशेष कानूनों के बीच यह अंतर ऐसे विवाहों पर आपराधिकता का प्रभाव डालता है।

इस मुद्दे पर न्यायालय?

- सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इस मुद्दे की जांच कर रहा है क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर अलग-अलग फैसला सुनाया है।
- सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2022 के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई, जिसमें साढ़े 16 साल की एक मुस्लिम लड़की को युवावस्था प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दी गई थी।
- एनसीपीसीआर ने उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि व्यक्तिगत कानून विशेष दंड विधियों को ओवरराइड नहीं कर सकते।





13 फरवरी 2023

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006:


- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कहता है कि बाल विवाह अवैध हैं लेकिन शून्य नहीं हैं।
- इसके बजाय, वे अवयस्क पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हैं, इस परिदृश्य में कि अवयस्क विवाह को शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
- अधिनियम महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है, जबकि पुरुषों के लिए यह 21 वर्ष है। अधिनियम बाल विवाह को "कठोर कारावास जो दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ दंडित करता है।

केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है?

- 2021 में, केंद्र सरकार ने बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2021 पेश करने की मांग की, ताकि सभी धर्मों की महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा सके।
- हालांकि, इसकी जांच कर रहे संसदीय पैनल ने अक्टूबर 2022 में विस्तार प्राप्त करने के बाद अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
- दिसंबर 2021 में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 देश में सभी समुदायों पर लागू होगा और एक बार अधिनियमित होने के बाद, मौजूदा विवाह और व्यक्तिगत कानूनों का स्थान ले लेगा।

संक्षिप्त सुर्खियां

तिलका मांझी



प्रसंग

हाल ही में क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी की 273वीं जयंती मनाई गई।
तिलका मांझी के बारे में:

- 1770 के समय में जब संथाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से मर रहे थे तब तिलका मांझी ने कंपनी का खजाना लूट लिया और इसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया।
- उन्होंने आदिवासियों को एक सेना में संगठित किया और 1784 में शोषक अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल हूल का नेतृत्व किया।
- तिलका के इस नेक कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य आदिवासी भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसप्रकार संथालों का विद्रोह शुरू हो गया।
- तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।
- तिलका मांझी ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई।

मिशन भाशिनी



प्रसंग

'भाशिनी' उन पहलों में से एक है जिन्हे भारत सरकार द्वारा गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम में डिजिटल अर्थव्यवस्था पहल के दौरान आरम्भ किया गया।

मिशन भाशिनी के बारे में

- नोडल मंत्रालय- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय।
- यह एक स्थानीय भाषा का अनुवाद मिशन है जिसका उद्देश्य उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच की बाधा को तोड़ना है।
- इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक अलग 'भासदान' सेक्शन भी है जो व्यक्तियों को कई क्राउडसोर्सिंग पहलों में योगदान करने की अनुमति देता है।
- योगदान चार तरीकों से किया जा सकता है - सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया और देखो इंडिया - जहां

Face to Face Centres





यूजर्स को वह टाइप करना होता है जो वे सुनते हैं या उन्हें दूसरों द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को मान्य करना होता है।

- इस सरकारी मंच का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना है, जिनका उपयोग - भारतीय एमएसएमई, स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स द्वारा किया जा सके।
- यह डेवलपर्स को सभी भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।
- साइड नोट: 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ, 122 प्रमुख भाषाएँ और 1599 अन्य भाषाएँ हैं।
 - ध्यातव्य हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 के बजट में राष्ट्र भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) की घोषणा की गई थी।

फॉरएवर केमिकल्स

प्रसंग

हाल ही में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाले एक अध्ययन में नॉर्वे के स्वालबार्ड के आसपास की बर्फ में जहरीले पीएफएएस के खतरनाक स्तर पाए गए, जिन्हें "फॉरएवर केमिकल्स" के रूप में भी जाना जाता है, जो इस क्षेत्र के वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करते हैं।

मुख्य बिंदु

- नॉर्वेजियन आर्कटिक की बर्फ में 26 प्रकार के पीएफएएस यौगिक होते हैं, जो एक बार बर्फ के पिघलने के बाद आर्कटिक फोजर्ड्स और टुंड्रा जैसे पारिस्थितिक तंत्रों में जा सकते हैं।
- ध्रुवीय भालू के रक्त प्रवाह में पीएफए के उच्च स्तर पाए गए हैं।

फॉरएवर केमिकल्स के बारे में

- पीएफएएस (प्रति- और पॉलीफ्लोरिनेटेड अल्किल पदार्थ) लगभग 12,000 रसायनों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता उत्पादों में पाए जाते हैं जो पानी तथा गर्मी का प्रतिरोध करते हैं।
- उन्हें "फॉरएवर केमिकल्स" कहा जाता है क्योंकि वे समय के साथ स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होते हैं।
- ये रसायन कैंसर, लीवर की बीमारी आदि सहित कई बीमारियों से जुड़े हैं।
- ये संदूषक, एक बार पारित हो जाने के बाद, छोटे जीवों जैसे प्लैंकटन या मछली से लेकर ध्रुवीय भालू जैसे क्षेत्र में शीर्ष परभक्षियों तक पूरे खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं।
- 2021 के एक अध्ययन में पाया गया है कि पूरे यूरोप में लोकप्रिय फास्ट-फूड चेन, टेकअवे रेस्तरां और सुपरमार्केट से डिस्पोजेबल खाद्य पैकेजिंग में पीएफएएस रसायनों का उपयोग किया जा रहा है।

विनियमन:

- वर्तमान में, पीएफएएस के तीन उप-समूह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन में सूचीबद्ध हैं।
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य सबसे जहरीले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI)

प्रसंग

हाल ही में, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने अदानी ग्रुप के चार शेयरों के लिए अपना वेटेज परिवर्तित किया है।
MSCI (मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल)

Face to Face Centres





- MSCI का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली के पास है।
- यह वैश्विक निवेश समुदाय के लिए स्टॉक इंडेक्स और सेवाओं सहित महत्वपूर्ण निर्णय समर्थन उपकरणों का अग्रणी प्रदाता है।
- इसके पोर्टफोलियो में 160,000 से अधिक इंडेक्स हैं।
- MSCI सूचकांकों को विश्व स्तर पर निवेशकों द्वारा ट्रेड किया जाता है, जो देशों और शेयरों को दिए गए वेटेज के आधार पर धन आवंटित करते हैं।

अमृतपेक्स 2023



प्रसंग

हाल ही में, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और रेलवे ने अमृतपेक्स 2023 - राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- अमृतपेक्स 2023 का आयोजन डाक विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
- अमृतपेक्स देश के 5000 साल पुराने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर करने और प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय मंच है।

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य



प्रसंग

उपराष्ट्रपति संसद के बजट सत्र के दौरान राज्य सभा में कार्यवाही का संचालन करते हैं।
अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य:

- राज्य सभा के सभापति या उप-राष्ट्रपति "सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान के निर्विवाद संरक्षक हैं"। वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता भी है तथा राज्यसभा की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।
- वह सदन की कार्यवाही प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, नियमों, प्रथाओं और परंपरा के अनुसार सञ्चालन को सुनिश्चित करता है।
- अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में, वह "सुनिश्चित करता है कि प्रश्न पूछने और पूर्ण उत्तर प्राप्त करने के सदस्यों के अधिकार अच्छी तरह से लागू हो तथा वह विशेषाधिकार मामलों और अन्य प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर निर्णय भी देता है"।
- अध्यक्ष अपने निर्णयों के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। सभापति के निर्णयों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती और सभापति के निर्णय का विरोध करना सदन की अवमानना है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना



प्रसंग

राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए धन आवंटित किया है, लेकिन केंद्र परियोजना की लागत को साझा करना चाहता है।

ईआरसीपी का उद्देश्य क्या है?

- राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल
- 342.52 लाख हेक्टेयर पूरे देश के 10.4 प्रतिशत के बराबर है लेकिन यहाँ भारत के सतही जल का केवल 1.16% और भूजल का 1.72% पाया जाता है।
- राज्य के जल निकायों में, केवल चंबल नदी बेसिन में अतिरिक्त पानी है, लेकिन इस पानी का सीधे दोहन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोटा बैराज के आसपास के क्षेत्र को मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है।





- डायवर्जन स्ट्रक्चर्स, इंटर-बेसिन वाटर ट्रांसफर, लिंकिंग चैनल्स, और बिल्डिंग पम्पिंग मेन फीडर चैनल्स की मदद से, ERCPC का उद्देश्य जल चैनलों का एक नेटवर्क बनाना है जो राज्य के 23.67% और जनसंख्या के 41.13% को कवर करेगा।

H5N1 का स्तनधारियों में प्रसार



प्रसंग

स्तनधारियों के बीच H5N1 संचरण की हाल की रिपोर्ट इसके मानव महामारी पैदा करने की क्षमता को लेकर चिंता उत्पन्न कर रही है।

मुख्य विशेषताएं:

- एवियन इन्फ्लूएंजा, या बर्ड फ्लू, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। कभी-कभी, वायरस पक्षियों से स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, (जिसे स्पिलओवर कहा जाता है) तथा यह संभावित रूप से स्तनधारियों के बीच फैल सकता है।
- H5N1 उपप्रकार में अन्य स्तनधारियों जैसे कि मिनक, फेरट्स, सील और घरेलू बिल्लियों में फैलने की क्षमता होती है, जब जानवर संक्रमित पक्षियों या उनके मल के संपर्क में आते हैं या संक्रमित पक्षियों के शवों का सेवन करते हैं और आगे जलाशयों के रूप में काम करते हैं।
- यह भी संभव है कि समय के साथ, वायरस उत्परिवर्तन या अन्य इन्फ्लूएंजा वायरस के साथ पुनर्संयोजन के माध्यम से नए मेजबानों के अनुकूल होने के लिए विकसित हो सकता है, जिससे महामारी फैलने की सम्भावना है।
- हाल ही में, वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर मृत्यु दर के बाद एक संभावित स्तनधारी स्पिलओवर घटना की जांच कर रहे हैं, जिसमें रूस के कैस्पियन सागर तट पर 700 से अधिक सील मारे गए थे जहां जंगली पक्षियों में H5N1 प्रकार का पता चला था।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare